

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी—

डॉ. सूरज सिंह नेगी

आर.ए.एस.

मिसल नम्बर

तारीख दायरा

तारीख निर्णय

24 / 2023 / प्रा.पत्र / 2023

17.02.2023

02.11.2023

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.....प्रार्थी

बनाम

- 1—श्री रोहित जैन पुत्र श्री नौरत मल जैन निवासी प्लॉट नं. 67 जैन मन्दिर के पास आदर्श नगर टोंक जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स आदिनाथ प्रोविजन स्टोर प्लॉट नं. 67 जैन मन्दिर के पास आदर्श नगर टोंक जिला टोंक
- 2—मैसर्स आदिनाथ प्रोविजन स्टोर प्लॉट नं. 67 जैन मन्दिर के पास आदर्श नगर टोंक जिला टोंक
- 3—श्रीमति कृष्णा देवी खण्डेलवाल पत्नि श्री शिव शंकर खण्डेलवाल निवासी 62 कल्याण कुंज कालवाड रोड झोटवाडा जयपुर प्रोपरायटर मैसर्स आयुष इण्डस्ट्रीज एसएस-166 राजधानी कृषि उपज मण्डी रोड नं. 12 वीकेआई एरिया सीकर रोड जयपुर राज.
- 4—मैसर्स आयुष इण्डस्ट्रीज एसएस-166 राजधानी कृषि उपज मण्डी रोड नं. 12 वीकेआई एरिया सीकर रोड जयपुर राज.

.....अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51 व 52 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित—

- 1—पेरोकार सरकार।
- 2—अप्रार्थी सं. 1 श्री रोहित जैन स्वयं।
- 3—अप्रार्थी सं. 3 व 4 की ओर से अभिभाषक श्री दिनेश कुमार शर्मा उप.।

:-निर्णय:-

दिनांक 02.11.2023

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 10.12.2022 को समय 05:45 पीएम पर मैसर्स आदिनाथ प्रोविजन स्टोर प्लॉट नं. 67 जैन मन्दिर के पास आदर्श नगर टोंक जिला टोंक पर पहुंचा। वहां श्री रोहित जैन पुत्र श्री नौरत मल जैन मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री रोहित जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय करने हेतु अन्य खाद्य पदार्थों के साथ प्लास्टिक के एक कट्टे में लगभग 20 मूल पॉली पैक पैकड अवस्था में प्रत्येक नग 1-1 किलोग्राम पैक काला

1678



अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
टोंक

नमक (विनायक ब्राण्ड) रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री रोहित जैन को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री रायचन्द जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह काला नमक (विनायक ब्राण्ड) जिसके बैच नम्बर अनुपस्थित एवं पैकिंग की दिनांक अनुपस्थित थी, वास्ते नमूना जांच क्य किया जा रहा है, 1-1 किलोग्राम के 4 मूल पैक खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा काला नमक (विनायक ब्राण्ड) 1-1 किलोग्राम के 4 मूल पैक को चार कागज के गत्ते के डिब्बों में प्रत्येक में 1-1 पैकेट रखकर नियमानुसार चार भाग तैयार किये एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई-3383 दर्ज कर, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई-3383 नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री रोहित जैन पुत्र श्री नौरत मल जैन ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स आयुष इण्डस्ट्रीज एसएस-166 राजधानी कृषि उपज मण्डी रोड नं. 12 वीकेआई एरिया सीकर रोड जयपुर राज. का वारन्टी बिल पेश कर उक्त खाद्य पदार्थ क्य करना बताया।


आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2022/659 दिनांक 27.12.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल.एस./3499/एक्ट/2022/3552 दिनांक 19.12.2022 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्य किया गया काला नमक (विनायक ब्राण्ड) खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार अवमानक (Sub-Standard) व खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के अनुसार मिथ्याछाप (Mis-Branded) का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकल्प न्यायालय में प्रस्तुत किया।



प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 श्री रोहित जैन स्वयं तथा अप्रार्थी सं. 3 व 4 की ओर से उनके अभिभाषक श्री दिनेश कुमार शर्मा उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में अपना जुर्म स्वीकार करते हुए न्यूनतम शास्ति के साथ प्रकरण का निस्तारण करने का निवेदन किया। परोकार सरकार की बहस सुनी गई। परोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस काला नमक (विनायक ब्राण्ड) का विक्रय कर रहे थे वह जांच में अवमानक (Sub-Standard) व मिथ्याछाप (Mis-Branded) स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थी, अभिभाषक एवं परोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया काला नमक (विनायक ब्राण्ड)का नमूना जांच में अवमानक (Sub-Standard) व मिथ्याछाप (Mis-Branded) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 व 52 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं. 1 व 2 पर कुल शास्ति रूपये 10,000/- (अक्षरे दस हजार रूपये) तथा अप्रार्थी सं. 3 व 4 पर कुल शास्ति रूपये 20,000/- (अक्षरे बीस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 02.11.2023 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर नियमानुसार शास्ति वसूली की कार्यवाही की जावेगी। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ़्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.11.2023 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



(डॉ. सूरज सिंह नेगी)  
न्यायाधीश एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
टोंक-राज0